न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 3/2003

प्रभुलाल पुत्र लालचन्द जाति ब्राहमण (गालव) निवासी वार्ड नं0 2 मांगरोल तह मांगरोल जिला बारां राज0 (मृतक) जर्ये कायम मुकामान

1/1 पुरषोत्तम
1/2 चन्द्र प्रकाश } पिसरान प्रभूलाल जाति ब्राहमण (गालव) निवासी वार्ड नं0 2 मांगरोल तह0
1/3 प्रदीप कुमार } मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

....वादीगण

♠ बनाम ♠

1. गेपाल पुत्र पन्नालाल जाति कुम्हार निवासी माथना, तह0 बारां जिला बारां (मृतक)
   1/1 मदनलाल पुत्र गोपाल जाति कुम्हार निवासी माथना तह0 बारां
2. चतरा उर्फ चतुर्भुज पुत्र पन्नालाल जाति कुम्हार निवासी माथना तह0 बारां
   2/1 मोतीलाल } पिसरान चतरा उर्फ चतर्भुज जाति कुम्हार निवासी माथना तह0 बारां
   2/2 छीतरलाल }
3. रामचन्द्र पुत्र पन्नालाल कुम्हार निवासी माथना तह0 बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
वकील प्रतिवादीगण : श्री अजित कुमार जैन
दायरा दिनांकः 09.04.2003 निर्णय दिनांक : 02.05.2018

वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0 में पेश करके कथन किया कि वादीगण व वादी के पूर्वज स्थायी रूप से मांगरोल के निवासी है। तथा प्रतिवादीगण ने कभी भी मांगरोल में निवास नही किया है। ग्राम माथना तह0 बारां में वादीगण ने पता किया तो उनका निवास स्थान माथना भी नही है। वादी ने आगे कथन किया कि वादी के पितामह के पुत्र भैरूलाल वादी के बडे भाई होते थें जिनको कोटा राजदरबार की ओर से कस्बा मांगरोल की पटेलाई दे रखी थी स्वर्गीय भैरूलाल के कोई औलाद नही होने से भैरूलाल ने वादी को ही अपना पुत्र मान लिया था। तथा भैरूलाल के फौत हो जाने पर उनकी पगडी आदि वादी भंवरलाल के ही बांधी गयी थी तथा आराजी खसरा नं0 1075 रकबा 0.56 है0 खसरा नं0 1072 रकबा 0.47 है0 साबिक खसरा नं0 435 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा खसरा नं0 441 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा को वादी ही भैरूलालजी के समय से ही काश्त करता चला आ रहा है। वादी व भैरूलाल लगभग 60 वर्ष से लगातार आराजी को काश्त करते चले आ रहे है। भैरूलाल पटेल होने से आराजी को अन्य व्यक्ति

जावी, हीरा धाबी, ओंकार माली से काश्त करवाते चले आ रहे थें। स्वयं भैरूलाल का नाम पट्टेदार मुस्ताजर के रूप में राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 लागू होने के समय वादीगण की कब्जा काश्त थी प्रतिवादीगण ने कभी भी इस आराजी को काश्त नही किया है। प्रतिवादीगण मांगरोल में निवास भी नही करते है। आराजी के समस्व राजस्व कर वादी के द्वारा ही जमा कराये जा रहे है। लगातार कब्जा काश्त व राजस्व रेकार्ड में सबटीनेन्ट नाम दर्ज होने से वादी को खातेदार घोषित किया जावें। तथा दर्ज नाम प्रतिवादीगण का नाम खाते से हटाया जावें।

इस आशय का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करके तलब किया गया अखबार में श्याहा करवाकर प्रतिवादीगण की भी तलबी की गयी। प्रतिवादीगण की ओर से श्री अजित कुमार जैन एडवोकेट ने वकालत नामा पेश करके जवाब दावा व काउन्टर क्लेमे पेश किया काउन्टर क्लेम मे प्रतिवादीगण ने कथन किया कि प्रतिवादीगण विवादग्रस्त आराजी के रेंकार्डेड खातेदार है। प्रतिवादीगण वादीगण से पांती काश्त कराते थें। इसी का फायदा उठाकर दो तीन पूर्व आराजी पर कब्जा करके ये वाद पेश कर दिया। वादीगण बलपूर्वक प्रतिवादीगण को बेदखल करके अपने खाते दर्ज करवाना चाहता है। और न्यायालय से प्रार्थना की कि वादी का वाद खारिज किया जाकर वादी को आराजी से बेदखल करके प्रतिवादीगण को आराजी का कब्जा सम्भलाया जावें।

वादीगण ने काउन्टर क्लेम का जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन किया कि मात्र राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होने से ये काउन्टर क्लेम पेश किया है। जबकि प्रतिवादीगण ग्राम माथना कोटा में निवास करते है। कस्बा मांगरोल में कभी निवास नही किया है सम्वत 2018 से 2022 की जमाबंदी में वादी के धर्मपिता भैरूलाल का नाम सबटीनेन्स दर्ज हो रहा है। जिन पातीदारों से वादी व भैरूलाल ने आराजी को काश्त करवाया है। उनके नाम जैली काश्त दर्ज हो रही है उन्होने मांगरोल में निवास कभी नही किया है। और आराजी पर काश्त भी कभी नही की है। सम्वत 2028–2031 में जैली काश्त प्रभूलाल दर्ज हो रही है। और वादी ने जवाब उल जवाब पेश करके काउन्टर क्लेम खारिज करने की प्रार्थना की।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनो के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गयीः–

1. आया खसरा नं0 1075 रकबा 0.56 है0 खसरा नं0 1072 रकबा 0.47 है0, वाके कस्बा मांगरोल को वादी व उसके पूर्वज भैरूलाल पटेल लगभग 60–70 वर्षो से काश्त करते आने से खातेदार घोषित किये जाने के अधिकारी है।
2. आया प्रतिवादीगण खसरा नं0 1075 रकबा 0.56 है0 खसरा नं0 1072 रकबा 0.47 है0, कस्बा मांगरोल की आराजी पर से वादीगण को बेदखल करके कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

[illegible]

वादीगण ने अपने समर्थन में पीडब्ल्यू 1 वादी मृतक प्रभुलाल पीडब्ल्यू 2 पुरूषोत्तम पीडब्ल्यू 3 [illegible] के बयान लेखबद्ध करवाये है। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 नोटिस धारा 80 सी0पी0सी0 प्रदर्श 2 से लेकर प्रदर्श 9 तक जमाबंदी विवादित साबिक खसरा नं0 प्रदर्श 10 हाल सेटलमेंट मिलान [illegible] खसरा नम्बर 1072 व 1075 प्रदर्श 11 मिलान क्षेत्रफल प्रथम सेटलमेंट सम्वत 2014–2022 साबिक खसरा नं0 435, 441 प्रदर्श 12 से प्रदर्श 19 तक खसरा गिरदावरी साबिक खसरा नं0 435, 441 प्रदर्श 20 से प्रदर्श 28 कर्ता राज रसीद प्रदर्श 14 पटेलाई करने की आज्ञा कोटा दरबार से प्राप्त है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 26.04.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही होने से प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नही किया है। और कोई गवाह भी पेश नही किया है।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी समस्त प्रदर्श कराये गये दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तनकी नं0 1 वादी को व तनकी नं0 2 प्रतिवादीगण को साबित करनी है। लेकिन दोनो तनकी एक दूसरे से मिली होने के कारण एक साथ निर्णित की जा रही है।

तनकी नं0 1 व 2:– वादीगण का मुख्य कथन बहस व अपने अभिवचनो में यह रहा है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नं0 435 व खसरा नं0 441 की आराजी से मेरे पितामह के भाई भैरूलाल काश्त करते थे। उनको कोटा राजदरबार ने पटेलाई करने का पट्टा दे रखा था जो प्रदर्श 14 है जमाबंदी सम्वत 2018 से 2021 में कॉलम नं0 3 में पट्टेदार के रूप मे भैरूलाल का नाम दर्ज हो रहा है। भैरूलाल की मृत्यु के बाद खसरा गिरदावरी में जैविक काश्त वादी प्रभुलाल पुत्र शंकरलाल के खाते दर्ज हो रही है। वादीगण ने अपने खातेदार कान्हा, हीरा धोबी, औंकार माली से पाती काश्त कराई थी। जिनके नाम खसरा गिरदावरी जैविक काश्त में कब्ज के रूप में काश्त दर्ज हो रही है।

वादीगण ने अपनी बहस में यह भी बताया कि आज तक व सेटलमेंट से पूर्व कर्ता राज की रसीद भी वादीगण के पास है तथा जमा कराने वाले का नाम पटेल भैरूलाल पुत्र शंकरलाल, व कुछ रसीद पर प्रभुलाल पुत्र लालचन्द का नाम लिखा हुआ है। जो प्रदर्श 20 से प्रदर्श 28 है।

वकील वादी ने अपनी बहस में न्यायालय को बताया कि प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में सिर्फ यह लिखा है कि वादीगण ने तीन चार वर्ष पूर्व कब्जा आराजी पर कर लिया बडे आश्चर्य की बात है कि कोई व्यक्ति किसी भी आराजी पर बलपूर्वक कब्जा कर लेवे और वह व्यक्ति मालिक होते हुए भी कोई कानूनी कार्यवाही रिपोर्ट वगैरह ना करें। अविश्वसनीय प्रतीत होती है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में यह भी नही लिखा कि कब्जा किस आधार पर कर लिया कौनसा तरीका था। न्यायालय को ऐसा प्रतीत

कि वादीगण का कब्जा प्रारम्भ से ही विवादित आराजी पर चला आ रहा है। और वादी के वाद पेश करने का मियाद कानून से बचने के लिए 2–3 वर्ष पूर्व कब्जा कर लिया जवाब दावे में लिख दिया यह माना है कि जमाबंदी में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है। लेकिन कब्जा काश्त प्रतिवादीगण ही है। यह भी प्रतिवादीगण को साबित करना है। तथा कब्जा लेने के लिए यह भी साबित करना होगा कि कब्जा कैसे कब वादी गण ने कर लिया व प्रतिवादीगण ने कब्जा लेने के लिए क्या क्या कार्यवाही की, लेकिन ऐसी कोई बात का दस्तावेज प्रतिवादीगण की ओर से पेश नही हुआ है।

प्रतिवादीगण ने अभिवचनो को गवाहान या दस्तावेज के आधार पर भी साबित नही किया है प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा व काउन्टर क्लेम का कोई प्रयास नही किया है मात्र यह लिख देना कि वादीगण ने 3–4 वर्ष पूर्व आराजी पर कब्जा कर लिया है। कब्जा लेने हेतु पर्याप्त नही है। जबकि वादीगण यह वाद पेश कर रहे कि प्रतिवादीगण ने आराजी पर कभी भी काश्त नही की है। ऐसी स्थित में प्रतिवादीगण की ओर से क्रोस साक्ष्य पेश नही होनी चाहिए थी, जो प्रतिवादीगण ने नही की काउन्टर क्लेम व जवाब दावे पर मोतीलाल प्रतिवादी के हस्ताक्षर नही है। इसलिए उक्त काउन्टर क्लेम मोतीलाल का है यह नही माना जा सकता।

वादीगण ने अपने मौखिक साक्ष्य ओर दस्तावेजी साक्ष्य से यह भलीभांति साबित कर दिया है कि विवादित आराजी पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से ही वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी नं0 1 व तनकी नं0 2 का निर्णय वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

अतः काउन्टर क्लेंम प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। तथा वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि हाल खाता संख्या 227 कस्बा मांगरोल में दर्ज आराजी खसरा नं0 1072 रकबा 0. 47 है0, खसरा नं0 1075 रकबा 0.56 है0 कुल किता 2 रकबा 1.03 है0 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है। पूर्व दर्ज खातेदार गोपाल, रामचन्द्र पिसरान पन्ना हिस्सा 2/3 छीतरलाल, मोतीलाल पुत्र चतरा हिस्सा 1/3 जाति कुम्हार का नाम खाते में से हटाया जावें। इस आशय की डिक्री जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।